# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

**पंचम् झारखण्ड विधान-सभा**
**अष्टम् (बजट) सत्र**

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 15.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

| क्र0सं0 | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04. |
| 01- | श्री बंधु तिर्की स0वि0स0 | विदित हो कि चतरा जिलान्तर्गत टंडवा स्थित एन0टी0पी0सी0 द्वारा वर्ष 2006 में विस्थापित भू-रैयतों को झारखण्ड सरकार द्वारा प्रति एकड़ 4,35,000/-(चार लाख, पैंतीस हजार) राशि दिये जाने के उपरान्त एन0टी0पी0सी0 ने काम बन्द कर दिया तथा वर्ष 2013 में पुनः काम शुरू किये जाने के बाद टंडवा की जमीन की कीमत में काफी बढ़ोत्तरी हो गई। जिस पर एन0टी0पी0सी0 ने दिनांक- 27.11.2013 को अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय बैठक हुई, जिसमें बड़कागाँव, पकरी एवं बरवाडीह कोयला खनन के तर्ज पर झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0-116, दिनांक- 27.02.2013 के आधार पर रैयतों को पुनर्वास एवं मुआवजा के लिए 15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रूपया प्रति एकड़ की दर से भुगतान किये जाने पर समझौता हुआ। पुनः सरकार के संकल्प सं0-116 को संशोधित कर दिनांक- 21.03.2015 को भू-रैयतों को प्रति एकड़ 20,00,000/- (बीस लाख) | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार |

<table>
<tr><th>01.</th><th>02.</th><th>03.</th><th>04.</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>रूपये की दर पर भुगतान किये जाने की सहमति बनी। इसी तर्ज पर अनुमण्डल पदाधिकारी सिमरिया की अध्यक्षता में V.D.A.C. की बैठक हुई। जिसमें टण्डवा के भू-रैयतों की 20 लाख रूपया प्रति एकड़ के दर से भुगतान किये जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। परन्तु आज तक बढ़ा हुआ 5,00,000/- (पाँच लाख) रूपये का भुगतान अबतक शुरू नहीं हुआ है।<br>अतः अधिग्रहित भूमि के प्रभावित रैयतो का बढ़ी हुई राशि का मुआवजा एवं पुनर्वास की व्यवस्था कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।</td><td></td></tr>
<tr><td>02-</td><td>श्री बसंत सोरेन स0वि0स0</td><td>झारखण्ड प्रदेश में तसर उद्योग कृषि आधारित कुटीर उद्योग है. एवं पूरे प्रदेश में लगभग 1,70,000 यहाँ के मूलवासी आदिवासी परिवार तसर उद्योग से जुड़े हुए है। झारखण्ड प्रदेश से अन्य राज्यों में भी जैसे- छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्यों को तसर बीज का आपूर्त्ति किया जाता है। परन्तु देखा जा रहा है कि विगत तीन-चार वित्तीय वर्षो में रेशम विभाग के बजट की राशि में लगातार गिरावट हो रही है।
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>वित्तीय वर्ष</th><th>उद्योग विभाग का बजट (राशि करोड़ रूपये में)</th><th>रेशम विभाग का बजट (राशि करोड़ रूपये में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2019-20</td><td>300</td><td>33.74</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2020-21</td><td>268</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2021-22</td><td>315</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2022-23</td><td>280</td><td>10.00</td></tr>
</table>
इससे स्पष्ट हो रहा है कि रेशम विभाग का बजट में लगातार भारी कटौती हो रही है जिससे रेशम उत्पादन के साथ-साथ रोजगार भी घट रहा है।<br>अतः मैं बजट में रेशम विभाग का बजट में हो रही कटौती को रोकने एवं बजट में अधिक राशि के प्रावधान हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।</td><td>उद्योग</td></tr>
</table>

कृ0पृ030-

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| 03– | **श्री सुदेश कुमार महतो स0वि0स0** | राज्य के नियोजनालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पास लाखों बेरोजगारों का नाम दर्ज है और तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है। वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट पेश करते हुए सरकार ने स्नातक पास बेरोजगारों को सालाना 5000 रूपए और स्नातकोत्तर पास बेरोजगारों को सालाना 7000 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। साथ ही मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 146 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था। यह योजना दो साल के लिए थी और बजट में घोषणा के दो साल बीत जाने के बाद भी युवाओं को अब तक एक रूपया बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है।<br>अतः सरकार को अपने घोषणा और बजटीय उपबंध के अनुसार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। | **श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास** |
| 04– | **श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0<br>श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0<br>सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0** | **आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम** के माध्यम से राज्य के लोगों की सबसे बड़ी माँग आवास उपलब्ध कराने से संबंधित है। राज्य में अबतक विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत् 4.48 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें 2.77 लाख आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के लिस्ट में जिन नागरिको के नाम नहीं है उन्हें आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिसके कारण राज्य की बड़ी आबादी प्रधान मंत्री आवास योजना से वंचित है। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे आवास योजनाएँ विशेष वर्ग के लोगों के लिए होने के कारण आम लोगों का अपना घर का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। | **नगर विकास एवं आवास** |

कृ0पृ030–

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| | | अतएव एक कार्य योजना तैयार कर राज्य के नागरिको को आवास उपलब्ध हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट किया जाता है। | |
| 05- | श्री किशुन कुमार दास स0वि0स0 | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की संकल्प संख्या- 5151, दिनांक- 26.09.2019 के द्वारा सिपाही/हवलदार को पर्व त्योहार एवं अवकाश के दिन काम करने के बदले एक माह का अतिरिक्त मानदेय दिया गया, परन्तु इसके बदले जवानों को मिलने वाला क्षतिपूर्ति अवकाश जब्त कर लिया गया जबकि इन्हें 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देने का प्रावधान है। इसी प्रकार ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 से भी इन्हें वंचित कर दिया गया है। वर्तमान समय में पदाधिकारी/कर्मचारी सातवें वेतन का लाभ ले रहे है, लेकिन पुलिस जवान इससे वंचित है। इसी तरह राशन भत्ता, दुरुह भत्ता, शिक्षण भत्ता और मेडिक्लेम भी इन्हें नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त जवानों को पुरानी पेंशन योजना भी नहीं मिल रही है। झारखण्ड पुलिस में सेवारत जवान वर्षो से एक ही पद पर बने हुए है, लेकिन इनकी प्रोन्नति की सुध लेने वाला कोई नहीं है।<br>अतः उपर्युक्त संपूर्ण सुविधाएं झारखण्ड के पुलिस जवानों को दिए जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। | गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन |

राँची,
दिनांक- 15 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–1338/वि0 स0, राँची, दिनांक–14/3/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/उद्योग विभाग/ श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग एवं गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/22

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–1338/वि0 स0, राँची, दिनांक–14/3/22

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/22

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

14/03/22